



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
(भारत सरकार रेल मंत्रालय का उपक्रम)

(A Govt. of India, Ministry of Railways Enterprise)
पांचवा तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110001.
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -110001.

एचक्यू/ओपीएंडबीडी/फ्रेटपॉलिसी/2018

दिनांक 19.9.2018

मुख्य परियोजना प्रबंधक,
डीएफसीसीआईएल.

(डीएफसीसीआईएल - प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल पॉलिसी का संशोधन सं.01)

विषय: डीएफसीसीआईएल - प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल पॉलिसी

डीएफसीसीआईएल के लागू प्रभार-प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल पॉलिसी की समीक्षा की गई है। पॉलिसी में किए गए संशोधन निम्न प्रकार हैं:

- पॉलिसी का पैरा - 9.1** का संशोधन निम्नानुसार है:
पीएफटी को स्थापित करने के लिए आवेदन करते समय ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में रु.10 लाख (नॉन-रिफंडेबल) की राशि जमा करवाना आवश्यक होगा। आवेदन शुल्क को एनईएफटी / आरटीजीएस / माँग ड्राफ्ट या डीएफसीसीआईएल द्वारा निर्धारित किसी अन्य माध्यम से जमा कराया जाना है।
- पॉलिसी का पैरा - 10.1** का संशोधन निम्नानुसार है:
डीएफसीसीआईएल द्वारा पीएफटी की रेल कनेक्टिविटी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की स्वीकृति के 03 माह के अंदर आवेदक द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में रु.10 लाख जमा कराए जाएंगे, इसमें विफल होने पर अनुमोदन को वापस ले लिया जाएगा।
- पॉलिसी का पैरा - 11.1, 11.2, 11.3 एवं 11.4** के संशोधन निम्नानुसार है:-
पैरा - 11.1 पीएफटी के लिए रेल कनेक्टिविटी की मांग करने वाली टीएमसी द्वारा देय ओवरहेड / विभागीय प्रभार नीचे दिए गए हैं -

विभागीय प्रभार और भुगतान के चरण						
क्र.सं.	परियोजना के लिए कार्य निष्पादन करने वाली एजेन्सी	विभागीय प्रभार (औजार एवं संयंत्र और संस्थान पर्यवेक्षण सहित)	भुगतान के चरण			
			सर्वेक्षण के उत्तरदायित्व का अनुमोदन	सर्वेक्षण / योजनाओं और आंकलन का अनुमोदन भेजा जाना (कॉलम 4 में उल्लिखित रेलवे के साथ जमा की गई राशि सहित)	कार्य निष्पादन के आरंभ होने से पूर्व	समापन कार्यों के अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन करना (परियोजना की विस्तृत अनुमानित लागत के सन्दर्भ में पहले से जमा लागत को समायोजित करते हुए शेष लागत) (परियोजना की कुल समापन लागत के सन्दर्भ में)
1	2	3	4	5	6	7
11.1.1	डीएफसीसीआईएल	12 ½ %	1%	2%	8 ½ %	% प्रतिशतता की गणना निम्न प्रकार है {(कॉलम 3) में से घटाएं (कॉलम 5) में से घटाएं (कॉलम 6)}
11.1.2	पार्टी	6 ¼ %	1%	2%	2 ¼ %	
11.1.3	अनुमोदित सलाहकार	4% (एस एंड टी और ओ एच ई कार्यों को छोड़कर सभी कार्य के लिए) 6 ¼ % (ओएचई और एस एंड टी कार्यों के लिए)	1% 1%	2% 2%	शून्य 2 ¼ %	

- अनुसूची के अनुसार एक बार जमा कराए गए विभागीय प्रभार और डीएंडजी प्रभारों को वापस नहीं किया जाएगा।
- भारतीय रेलवे की अनुमोदित सलाहकारों की सूची डीएफसीसीआईएल पर लागू होगी।

पैरा-11.2

11.2.1 सर्वेक्षण, डीपीआर अनुमोदन, योजना एवं आंकलन, निर्माण तथा अंतिम निरीक्षण और प्रमाणन संबंधित स्थापना पर्यवेक्षण और औजारों एवं संयंत्र की लागत को कवर करने के लिए विभागीय प्रभार लगाए जाएंगे। भूमि की लागत को शामिल करते हुए प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल परियोजना (मजदूरी एवं सामग्री) की कुल लागत के प्रभार लागू किए जाएंगे। यद्यपि, आवेदक द्वारा अपने खर्चे पर अधिग्रहित जमीन की लागत को विभागीय प्रभारों की वसूली के उद्देश्य के लिए परियोजना की कुल लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

- 11.2.2 केवल क्र.सं. 11.1.1 में संदर्भित पीएफटी परियोजना कार्य के वास्तविक निष्पादन हेतु अपेक्षित वर्कचार्ज कर्मचारियों की लागत, इन विभागीय प्रभागों के अतिरिक्त होगी।
- 11.2.3 पीएफटी की परियोजना लागत केवल रेलवे के रोलिंग स्टॉक चलने वाले ट्रेक नेटवर्क एवं संबंधित अवसंरचना के भाग को कवर करेगी। कंपनी / पार्टी द्वारा आंतरिक उपयोग के लिए उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए ट्रेक नेटवर्क साइडिंग परियोजना लागत का भाग नहीं होंगे।

पॉलिसी का पैरा – 11.3 का संशोधन निम्नानुसार है:

परियोजना के समापन पर, परियोजना की कुल लागत (डीएफसीसीआईएल या पार्टी द्वारा निष्पादित) की गणना परियोजना के लिए प्रदत्त कार्य निष्पादन, अधिप्राप्ति और स्थापना के अनुबंधों हेतु किए गए भुगतान के आधार पर की जाएगी। सभी के द्वारा "उपयोग में लाई जाने वाली सुविधाओं को बनाने की लागत, यदि पार्टी द्वारा वहन की गई है, तब इसे पृथक रूप में दर्शाया जाएगा।

पॉलिसी का पैरा – 11.4 का संशोधन निम्नानुसार है:

पार्टी के औपचारिक अनुरोध पर पर्यवेक्षण के साथ अपने जमा कार्यों और परियोजना की प्रकृति के आधार पर सक्षम प्राधिकारी कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसी के बारे में निर्णय लेगा। तदनुसार, उक्त तालिका 11.1 (सलाहकार के माध्यम से डीएफसीसीआईएल के पर्यवेक्षण अंतर्गत एक अनुमोदित सलाहकार के माध्यम से डीएफसीसीआईएल या पार्टी द्वारा निष्पादन हेतु) में जैसा निर्धारित है, संबंधी प्रभागों का लागू होना पार्टी को सूचित किया जाएगा।

5. पैरा 2.0, निम्नलिखित परिभाषाओं को नीति में जोड़ा गया है:

- 2.30 **सारांश लागत** का आशय उस लागत से है, जो प्राइवेट साइडिंग की स्थापना के लिए पार्टी द्वारा आवेदन में इंगित की गई है।
- 2.31 **अनुमानित लागत** का आशय उस लागत से है, जिसका अनुमान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में लगाया गया है। इसमें पार्टी द्वारा अधिग्रहित भूमि की लागत और आंतरिक उपयोग के लिए उसके द्वारा उपयोग में लाए गए ट्रेक नेटवर्क की लागत भी शामिल नहीं हैं।
- 2.32 **समापन लागत** का आशय उस लागत से है, जिसकी गणना कार्य निष्पादन, अधिप्राप्ति, स्थापना इत्यादि के अनुबंधों के लिए किए गए भुगतान के आधार पर की गई है, जिसके लिए लेखा परीक्षित खातों को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. उक्त परिवर्तन आगामी प्रभाव के साथ दिनांक 13.08.2018 से प्रभावी होंगे।

7. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

8. तदनुसार, अनुबंधों के साथ साथ अन्य दस्तावेजों में इन आवश्यक परिवर्तनों को कर लिया जाए।

हस्ताक्षरित/-
(एस.निशात अली)
समूह महाप्रबंधक/ व्यवसाय विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

- कार्यकारी निदेशक, पूर्वी डीएफसी/पश्चिमी डीएफसी
- कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी समूह महाप्रबंधक / महाप्रबंधक
- सचिव, प्रबंध निदेशक - प्रबंध निदेशक को सादर सूचनार्थ।
- सचिव, निदेशक (परिचालन एवं व्यवसाय विकास), निदेशक (अवसंरचना) निदेशक (परियोजना नियोजन) एवं निदेशक (वित्त)
- कार्यकारी निदेशक, पीपीपी, रेलवे बोर्ड
- सभी संबंधित
- महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी – डीएफसीसीआईएल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

[यदि हिंदी संस्करण में कोई विसंगति हो, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा]